न्यायालय सहायककलक्टर (उपखण्डअधिकारी) रेलमगराजिलाराजसमन्द

पीठासीन अधिकारी–चन्द्रशेखर भण्डारी, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या –23/2018 (प्रा0प0)
दायरदिनांक :–27/02/2018
निर्णय दिनांक :–17/12/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ललित बाबेल पिता मीठालाल महाजन निवासी दरीबा तह0–रेलमगरा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–: निर्णय :–

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम राजपुरा स्थित आराजी नम्बर 304, 307 कुल किता– 02 कुल रकबा 09–04 बीघा किस्म बंजड भूमि श्री ललित बाबेल पिता मीठालाल महाजन निवासी दरीबा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 258, 259 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि आराजी संख्या 304, 307 में रकबा कमशः 02–00, 02–08 बीघा कुल रकबा 04–08 बीघा भूमि मिक्सर गिटी मशीन लगा रखी है व 3–4 कमरे व गैराज बना रखा है एवं उसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजी रकबे पर 04–08 बीघा भूमि मिक्सर गिटी मशीन लगा रखी है व 3–4 कमरे व गैराज बना रखा है। विपक्षी द्वारा उक्त भूमि का रूपान्तरण नही करवाया है एवं न ही सक्षम अधिकारी से विधिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। विपक्षी द्वारा उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से गैर कृषि रूप में उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियम/राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधानों का उल्लघंन होकर अतिचारी के रूप में आता है। विपक्षी के नाम की उक्त खातेदारी भूमि के उक्त आराजी पर रकबे पर जहां 04–08 बीघा भूमि मिक्सर गिटी मशीन लगा रखी है व

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

3–4 कमरे व गैराज बना रखा है व उसके किस्म रूप में अलग रूप से में जो भू भाग उपयोग में लिया जा रहा है वह भाग का रकबा बिलानाम सरकार कराने के साथ ही विपक्षी के उक्त रकबे से 04–08 बीघा भूमि मिक्सर गिटी मशीन व 3–4 कमरे व गैराज के रूप में अतिक्रमण बेदखली योग्य है। उक्त संबंध में प्रार्थी की ओर से विपक्षी को सूचित किया गया एवं उनका अवैध 04–08 बीघा भूमि मिक्सर गिटी मशीन व 3–4 कमरे व गैराज के संबंध में भी पटवारी हल्का द्वारा जांच की गई व मौका पर्चा तैयार किया गया जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। विपक्षी को अपना उक्त अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये कहा गया एवं उनके द्वारा अब तक भी अपना अवैधानिक उपयोग करना बंद नही किया एवं न ही अतिक्रमित भाग मुक्त किया। जिससे प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम राजपुरा के आराजी संख्या 304, 307 रकबा 06–16, 02–08 बीघा पर विपक्षी द्वारा बिना वैध स्वीकृति के 04–08 बीघा भूमि पर मिक्सर गिटी मशीन व 3–4 कमरे व गैराज बनाकर राजस्व प्रावधानों एवं नियमों का उल्लघंन किया है। जिससे उक्त भूमि का भाग बिलानाम सरकार घोषित किया जावें तथा विपक्षी के विरूद्व 04–08 बीघा भूमि मिक्सर गिटी मशीन व 3–4 कमरे व गैराज को हटाने के संबंध में बेदखली के आदेश फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी को नियमानुसार पर्याप्त अवसर प्रदान कियेजाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर विपक्षी के जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 258, 259 की प्रमाणित नकल, खसरा गिरदावरी की प्रमाणित नकल एवं नक्शा ट्रेस की नकल, पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय मौका पर्चा के पेश किये। पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

पक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन करने एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम राजपुरा के आराजी नम्बर 304, 307 क्रमशः रकबा 06–16, 02–08 बीघा भूमि विपक्षी के नाम कृषि भूमि के रूप में खातेदारी अधिकार के हक से दर्ज रेकार्ड है तथा पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना सक्षम

सहायक कलक्ट
उप खण्ड अधिका

स्वीकृति के 04–08 बीघा भूमि मिक्सर गिटी मशीन व 3–4 कमरे व गैराज बनाकर अकृषिक कार्य किया गया है। जो न्याय संगत प्रतीत नही होता है। पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन करने पर वादग्रस्त भूमि के भू भाग पर अकृषिक कार्य किया गया है। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिया जाता है कि ग्रामीण क्षैत्र में भूमि रूपान्तरण नियम 2007 के नियम 13 के तहत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नियम के तहत अवैध रूप से अरूपान्तरित भू भाग का नियमानुसार रूपान्तरण हेतु अन्तिम नोटिस देते हुए गैर कृषि कार्य के नियमन हेतु नियमानुसार रूपान्तरण/नियमन हेतु पत्रावली मय सम्पूर्ण पेनाल्टी राशि सहित चालान की प्रति के सक्षम अधिकारी के यहां खातेदार द्वारा प्रस्तुत कर 01 माह की अवधि में रूपान्तरण करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश की पालना नही किये जाने पर प्रश्नगत आराजियात को राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवाय चक दर्ज करते हुए तहवील सरकार लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पृथक से पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

17/12/18

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा